

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

2501 / 14-10-4

दिनांक, हरदोई,

6-1-2022

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित वन भूमि 0.041228 हे० भूमि पर गैर वानिकी कार्य व शून्य बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत मैसर्स रिलायन्स बी.पी. मोबिलिटी लिमिटेड, गोमती नगर लखनऊ द्वारा शाहाबाद-हरदोई मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731) कि०मी० 126 (चैनेज 126.654) के मध्य दांयी पटरी पर स्थित ग्राम-शाहाबाद अन्दर तहसील-शाहाबाद जिला हरदोई में प्रस्तावित है।

अतः रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.041228 हे० भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य व शून्य बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (04 प्रतियों में) आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-प्रस्ताव, सी०डी० सहित।

भवदीय

(रविशंकर शंकर)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांक 2501 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लिमिटेड, इलडिको कार्पोरेट चैम्बर-2, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मैसर्स बालाजी फ्यूल, प्रो० श्रीमती नीता बंशल (अधिकृत डीलर), निकट बालाजी कोल्ड स्टोरेज, शाहाबाद हरदोई रोड जिला-हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रविशंकर शंकर)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।